

प्रेस – नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 17-07-2021

हत्या के आरोप में आला कत्ल चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी खजनी द्वारा थाना खजनी जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 191/21 धारा अंतर्गत 302,120बी भादवि से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है।

थाना खजनी जनपद गोरखपुर के ग्राम भलुआन मे दिनांक 12.07.2021 को अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र लालमन सिंह द्वारा अपनी पत्नी पूनम सिंह को पारिवारिक कलह के कारण चाकू से मार दिया था जिनको दवा ईलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी थी ,मृतका पूनम सिंह के भाई कुलदीप सिंह पुत्र रामपरीखन सिंह निवासी ग्राम निबा होरिल थाना महुली जिला सन्तकबीर नगर के तहरीर पर दिनांक 14.07.2021 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/2021 धारा 302,120बी भादवि बनाम 1.धर्मेन्द्र सिंह पुत्र लालमन सिंह निवासी ग्राम भलुआन थाना खजनी जनपद गोरखपुर व अन्य दो सहयोगियो 2. गुलाब सिंह पुत्र मथुरा सिंह निवासी ग्राम कुवरजोत थाना खजनी जनपद गोरखपुर 3.राजकुमार पुत्र तुलसी निषाद निवासी ग्राम हर्दीडीह थाना खजनी जनपद गोरखपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था , जिसमे वाँछित चल रहे अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उपरोक्त को मय आलाकत्ल एक अदद चाकू के साथ मुझ प्रभारी निरीक्षक व मय हमराह फोर्स के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अस्पताल रोड खजनी के पास से गिरफ्तार किया गया चाकू बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 195/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.धर्मेन्द्र सिंह पुत्र लालमन सिंह निवासी ग्राम भलुआन थाना खजनी जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

आलाकत्ल एक अदद चाकू

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 191/2021 धारा 302,120बी भादवि

मु0अ0सं0 195/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य
2. उ0नि0 दिनेश कुमार पाण्डेय
- 3.का0 गौतम जैसवार
- 4.का0 संतोष कुमार यादव
5. का0 प्रदीप कुमार सिंह
- 6.म0का सपना